कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.–(07632-248414)
Email – dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 6570 बालाघाट, दिनांक 11 / 12 / 2023

"डिमाण्ड नोट"

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक– 1,
बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत हल्बीटोला, भालवा, से कालागोटा, केसा, माटे तक मार्ग निर्माण हेतु 2.25 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155435/2022)

संदर्भ :– (1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र कमांक / 6–एमपीबी 034 / 2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023
(2) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र कमांक / एफ–5 / 1248 / 2023 / 10–11 / 5050, 5051 दिनांक 20.11.2023

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों, जिनकी प्रतिलिपी आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित दोनो पत्रों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही एवं अधिरोपित शर्तो का पालन किये जाने हेतु संलग्न भेजी जाती है। विषयांतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक / 6–एमपीबी 034 / 2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो (भाग A अन्तर्गत 01 से 15 तक एवं भाग B अन्तर्गत 01 से 17 तक) के अन्तर्गत जारी की गई है, एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) मध्यप्रदेश भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक / एफ–5 / 1248 / 2023 / 10–11 / 5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 द्वारा लेख कर निर्देश प्रदान किये गये है कि स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार आवेदक संस्थान को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की पूर्ण राशि (पर्यवेक्षण शुल्क सहित) एवं नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करें। जिन शर्तो के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया जाना है, प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन के साथ भिजवाए। साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण / नामांतरण, फार्म पी–2, कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवायें। प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बालाघाट के प्रमाण पत्र की प्रति भी भिजवाए। प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारुप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू–अभिलेख) को पालन प्रतिवेदन के साथ प्रतिलिपि भेजें तथा भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो को बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर भिजवाए, ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

अतएव तत्संबंध में आपको लेख कर सूचित किया जाता है, कि विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक / 6–एमपीबी 034 / 2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क0 A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) योजना के अनुसार

उल्लेखित **राशि रू0 2,64,85,020.00 (रू0 दो करोड, चौसठ लाख, पचासी हजार, बीस मात्र)** का भुगतान एवं शर्त क्र0 A: (4) एवं B: (3) अन्तर्गत बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) योजना के अनुसार उल्लेखित **राशि रू0 1,34,43,364.00 (रू0 एक करोड़, चौतिस लाख, तिरालीस हजार, तीन सौ चौसठ मात्र)** का भुगतान तथा शर्त क्र0 A: (6) एवं B: (4) अंतर्गत नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की उल्लेखित **राशि रू0 27,64,328.00 (रूपये सत्ताईस लाख, चौसठ हजार, तीन सौ अठ्ठाईस मात्र)** का भुगतान, अधिरोपित शर्त क्र0 A: (7) अन्तर्गत दिये गये निर्देश अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के CAMPA fund में e-portal (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करे :–

(1) **क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि :–**

अधिरोपित शर्त क्र0 A: (1) एवं B: (2) अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला– बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0029/अ–59 वर्ष 22–23 पारित आदेश दिनांक 5.12.2022 द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बडे झाड़ का जंगल) ग्राम– सुंदर, प0ह0न0 30, तह0 तिरोडी, जिला बालाघाट के खसरा क्र0 210/1, 264/1 के कुल रकबा 89.255 हेक्टेयर (06 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/155435/2022 (2) FP/MP/Road/156089/2022 (3) FP/MP/Road/156090/2022 (4) FP/MP/Road/155552/2022 (5) FP/MP/Road/155399/2022 (6) FP/MP/Road/156088/2022) भूमि की 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार (संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 363 दिनांक 13.03.2023 एवं उपवनमण्डल अधिकारी कटंगी (सा.) के पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 532 दिनांक 13.03.2023 अनुसार) आंकलित **राशि रू0 2,64,85,020.00 (रू0 दो करोड, चौसठ लाख, पचासी हजार, बीस मात्र)** जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्र0/व्यय/56 दिनांक 17.03.2023 एवं पत्र पृ.क्रमांक/व्यय/1182 दिनांक 17.03.2023 से प्रदान की गई हैं।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की आंकलित कुल **राशि रू0 2,64,85,020.00 (रू0 दो करोड, चौसठ लाख, पचासी हजार, बीस मात्र)** का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.– A: (7) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल (https://Parivesh.nic.in) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

तथा आवेदक विभाग/संस्थान कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–11/भू–प्रबंध/सम./3091 दिनांक 27.09.2013 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में राज्य शासन वन विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अंतिम चरण औपचारिक स्वीकृति जिस वित्तीय वर्ष में जारी की जावेगी, उस वर्ष के मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संशोधित की जावेगी, तथा संशोधित योजना अनुसार अन्तर की राशि को जमा करने हेतु आवेदक विभाग/संस्थान महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक– 1, बालाघाट (म.प्र.) बाध्य होगा, तत्संबधी इस आशय का एक "वचन–पत्र" आवेदक विभाग/संस्थान इस वनमंडल कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करें।

(2) **बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि :–**

अधिरोपित शर्त क्र0 A: (4) एवं B: (3) अन्तर्गत बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) हेतु संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 174 दिनांक 17.01.2023 एवं उपवनमण्डल अधिकारी लांजी (सा.) उपवनमण्डल द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 72 दिनांक 18.01.2023 से प्रेषित परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) अन्तर्गत वनकक्ष क्रमांक 359 आर.एफ. में रकबा 36.000 हेक्टेयर (06 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/155435/2022 (2) FP/MP/Road/156089/2022 (3) FP/MP/Road/156090/2022 (4) FP/MP/Road/155552/2022 (5) FP/MP/Road/155399/2022 (6) FP/MP/Road/156088/2022) भूमि की 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार आंकलित **राशि रू0 1,34,43,364.00 (रू0 एक करोड़, चौतिस लाख, तिरालीस हजार, तीन सौ चौसठ मात्र)** जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके आदेश क्र0/व्यय/59 दि0 17.03.2023 एवं पत्र पृ.क्रमांक/व्यय/1185 दिनांक 17.03.2023 से प्रदान की गई हैं।

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की आंकलित कुल **राशि रू0 1,34,43,364.00 (रू0 एक करोड़, चौतिस लाख, तिरालीस हजार, तीन सौ चौसठ मात्र)** का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.– A: (7) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल (https://Parivesh.nic.in) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें।

तथा आवेदक विभाग/संस्थान कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–11/भू–प्रबंध/सम./3091 दिनांक 27.09.2013 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में राज्य शासन वन विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अंतिम चरण औपचारिक स्वीकृति जिस वित्तीय वर्ष में जारी की जावेगी, उस वर्ष के मजदूरी दर के आधार पर बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) योजना संशोधित की जावेगी, तथा संशोधित योजना अनुसार अन्तर की राशि को जमा करने हेतु आवेदक विभाग/संस्थान महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक– 1, बालाघाट (म.प्र.) बाध्य होगा, तत्संबधी इस आशय का एक "वचन–पत्र" आवेदक विभाग/संस्थान इस वनमंडल कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करें।

(3) <u>नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.) की राशि हेतु गणना :–</u>

अधिरोपित शर्त क0 A: (6) एवं B: (4) अन्तर्गत प्रकरण में संलग्न अभिलेख प्रपत्र भाग–II एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार आवेदित प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनो की श्रेणी Eco Class III एवं वनो का घनत्व 0.5 हैं। अतः म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/F.No.5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्रमांक/File No. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/2022/10–11/66 दिनांक 07.01.2022 एवं पत्र क्रमांक/एफ–5/2022/10–11/250 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार "वनों की ईको वैल्यू श्रेणी (वनो का प्रकार व घनत्व के आधार पर) Class-III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊर्ष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वनो का घनत्व–मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7), Dense अनुसार राशि रूपये 12,28,590.00 प्रति हेक्टेयर की दर से निम्नानुसार आंकलित होती है –

2.25 हे0 X 12,28,590.00 लाख प्रति हे0 = **राशि रू0 27,64,328.00 (रूपये सत्ताईस लाख, चौसठ हजार, तीन सौ अठ्ठाईस मात्र)**

अतः उपरोक्तानुसार उल्लेखित **नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.)** की आंकलित कुल राशि रूपये **27,64,328.00 (रूपये सत्ताईस लाख, चौसठ हजार, तीन सौ अठ्ठाईस मात्र)** का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.– A: (7) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल (https://Parivesh.nic.in) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने कष्ट करें।

तथा साथ ही जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.– B: (4) अंतर्गत विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मुल्य (N.P.V.) के अतिरिक्त कोई राशि देय होती है, तो यह राशि आपसे (उपयोगकर्ता अभिकरण/आवेदक विभाग/संस्थान से) वसूली जायेगी, अतः आप उपयोगकर्ता अभिकरण/आवेदक विभाग/संस्थान, इस आशय का एक वांछित **वचन पत्र** (Undertaking) बनाकर 05 प्रतियों में इस वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें। तथा उपरोक्त अधिरोपित शर्त अनुसार वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (Net Present Value) की आंकलित राशि में लगाई गयी दरों में भविष्य में परिवर्तन इत्यादि होने पर आंकलित राशि के अंतर की राशि इत्यादि जमा करने के संबंध में भी एक **"वचन–पत्र"** बनाकर 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित करने का कष्ट करें।

इस संबंध में वन मुख्यालय भोपाल कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/2023/10–11/4104 दिनांक 13.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार आवेदक संस्थानों को कैम्पा मद में राशि जमा करने का मांग पत्र निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित है :–

प्रपत्र

स. क्र.	मद का नाम	रकबा (हे0 में)	घनत्व (Density)	ईको क्लास श्रेणी	राशि	रिमार्क (यदि कोई हो तो)
1	2	3	4	5	6	7
1	नेट प्रजेन्ट वैल्यू (N.P.V.) की राशि	2.250	0.5	Eco Class III (Tropical Dry Deciduous Forest) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन)	(2.25X12,28,590 प्रति हे0) = 27,64,328.00 (रु. सत्तावीस लाख, चौसठ हजार, तीन सौ अठ्ठावीस मात्र)	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01. 2022 अनुसार
				योग राशि–	27,64,328.00	
2	क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि	89.255	–	–	2,64,85,020.00	मु. व. सं. बालाघाट वनवृत्त द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क0/व्यय/56 दि0 17.03.2023 अनुसार
				योग राशि–	2,64,85,020.00	
3	बिगडे वनक्षेत्र (Degraded forest land) में वैकल्पिक वृक्षारोपण (Compensatory afforestation) की राशि	36.000	–	–	1,34,43,364.00	मु. व. सं. बालाघाट वनवृत्त द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क0/व्यय/59 दि0 17.03.2023 अनुसार
				योग राशि–	1,34,43,364.00	
				कुल योग राशि–	4,26,92,712.00	

अतः उपरोक्त बिंदु क्रमांक (1), (2) एवं (3) तथा निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित राशियों का भुगतान जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र.– A: (7) में दिये निर्देशानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल (https://Parivesh.nic.in) के माध्यम से शासन के कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करे। तथा आपके विभाग/संस्थान द्वारा शासन के CAMPA मद में ई–पोर्टल के माध्यम से जमा कराई गयी उपरोक्त राशियों की सूचना एवं संबंधित अभिलेख आदि की सत्यापित प्रति तत्काल इस वनमण्डल कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तत्पश्चात उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो (भाग A अंतर्गत 01 से 15 तक एवं भाग B अंतर्गत 01 से 17 तक) के संबंध में शर्तवार वांछित वचन पत्रों सहित अनुपालन प्रतिवेदन मय अभिलेखों आदि सहित तत्काल इस वनमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, एवं पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर भी अपलोड करावे। ताकि आपके विभाग/संस्थान से प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन इस वनमण्डल कार्यालय में प्राप्ति होने पर उसे वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके। कृपया प्रकरण में वन मुख्यालय भोपाल द्वारा जब तक औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, एवं आपको कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी नही की जाती है, तब तक विषयांकित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

Meena

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\12-Halbitola Bhalwa kalagota 2.25 hac\Memo Letter.docx

पृ.कमांक/मा0चि0/ 6571 /बालाघाट, दिनांक 11/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं आपके पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 जिसकी प्रतिलिपी आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला–बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. उपवनमण्डलाधिकारी लांजी/बालाघाट/कटंगी (सा.) उपवनमण्डल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा/पूर्व लांजी एवं कटंगी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. शाखा प्रभारी व्यय/राजस्व शाखा दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र कमांक/6–एमपीबी 034/2023–बीएचओ, दिनांक 11.11.2023 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/1248/2023/10–11/5050, 5051 दिनांक 20.11.2023 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\12-Halbitola Bhalwa kalagota 2.25 hac\Memo Letter.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1248 / 2023 / 10–11 / 5050 भोपाल, दिनांक 20-11-23

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट मध्यप्रदेश।

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत हल्बीटोला भालवा से कालागोटा, केसा माटे तक मार्ग निर्माण हेतु 2.25 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155435/2022)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 034/2023 BHO दिनांक 11.11.2023

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति जारी की है।

स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की पूर्ण राशि (पर्यवेक्षण शुल्क सहित) एवं नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करें। जिन शर्तों के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया जाना है, प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन के साथ भिजवायें। साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण / नामान्तरण, फार्म पी–2, कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवायें। प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बालाघाट के प्रमाण पत्र की प्रति भी इस कार्यालय को भिजवायें।

प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू–अभिलेख) को पालन प्रतिवेदन के साथ प्रतिलिपि इस कार्यालय को भेजें।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर इस कार्यालय को भिजवाऐं, ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

16.11.23
(एच.एस. मोहिन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

–2–

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1248 / 2023 / 10–11 / 8051 भोपाल, दिनांक 20-11-23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड कर वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

16.11.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-एमपीबी 034/2023-बीएचओ/ दिनांक : 11 /11/2023.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत हल्बीटोला भालवा से कालागोटा, केसामाटे तक मार्ग निर्माण हेतु 2.25 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/Road/155435/2022) ।

Sir,

This refers to letter No. F-5/1248/2023/10-11/1948 dated 15/05/23, 4194 dated 20/09/2023 PCCF/APCCF (LM), Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government, the **"in-principle approval"** of Central Government is hereby conveyed for diversion of 2.25 ha Protected Forest land for construction of road from Halbitola Bhalwa to Kalagota Kesha mate under RCPLWEA Scheme in favour of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority in Balaghat District of Madhya Pradesh, subject to following conditions and stipulations.

A: **Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department**

(1) Cost of compensatory afforestation on the **2.25 X 2 = 4.50 ha (out of 89.255 ha) Chhote-Bade Jhar ka Jungle land** at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.

(2) *The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.*

(3) *The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section 4 or Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State*

Forest Act. A Copy of PF/RF notification may be submitted in Stage-I compliance report.

(4) Cost of compensatory afforestation on the **36.00 ha Degraded forest land (consolidated for six proposals)** at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.

(5) *The concern DFO shall submit proposal wise CA KML file/Geo reference map (NFL and DFL both) at the time of Stage-II approval.*

(6) The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the **2.25 ha** forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.

(7) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(8) Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

(9) All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied, wherever applicable.

(10) *The User agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.*

(11) *The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.*

(12) The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.

(13) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

(14) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(15) In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.

B Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval.

(1) Legal status of the forest land shall remain unchanged

(2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **4.50 ha (out of 89.255 ha) Chhote-Bade Jhar ka Jungle land at Khasra No. 210/1, 264/1, Village-Sunder, Tehsil-Tirodi, Disrict-Balaghat** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided

(3) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **36.00 ha Degraded forest land (consolidated for six proposals) at Forest Comptt/ Survey No. RF-359, Forest Range-East Lanjhi, District-Balaghat** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided

(4) Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect

(5) The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated **131 numbers/minimum** number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings

(6) Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.

(7) *User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms*

(8) *Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas*

(9) Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government

(10) No labour camp shall be established on the forest land

(11) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests

(12) No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work

(13) The period of diversion under this approval shall be co terminus with the project life

(14) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal

(15) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.

(16) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government

(17) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above, from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of competent authority.

भवदीय

11-11-23

(हर राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि

1. वन महानिरीक्षक(एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन तुलसीनगर, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दक्षिण बालाघाट, जिला-बालाघाट, मध्यप्रदेश ।
4. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाइन, बालाघाट, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

11-11-23

(हर राम कुमार)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Signed by Hara Ram Kumar
Date: 11-11-2023 10:02:13
Reason: Approved

16/11/23